<u>प्रेस नोट-11.08.2024</u>

<u>थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली</u>

<u>थाना नौगढ़ के अभियुक्तगण को रिमाण्ड लेने जाने वाले पुलिस टीम की हिरासत से फरार 02 अभियुक्तगण व पुलिस मुठभेड में दोनों अभियुक्तगण घायल</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये आदेशो/निर्देशो व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय आपरेशन अनिल कुमार यादव के कुशल व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण/निर्देशन व कृपेन्द्र प्रताप सिंह थानाध्यक्ष नौगढ़ के नेतृत्व में थाना नौगढ़ पर गठित टीम द्वारा अपराधियों के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम दिनांक 08.08.2024 को सुबह 09.00 बजे गहिला बाबा स्थान के पास मे 03 अभियुक्तो द्वारा एक किशोरी उम्र 17 वर्ष के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना नौगढ पर वादी के प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0स0 77/24 धारा 70(2) बीएनएस व 5G/6 पास्को एक्ट पंजीकृत किया गया था । उक्त घटना में सम्मलित अपराधियों को आज दिनांक 11.08.2024 को गिरफ्तारी किया गया जिन्हे विधिक कार्यवाही कर विवेचक थानाध्यक्ष नौगढ मय टीम द्वारा पुलिस हिरासत में रिमाण्ड लेने हेतु मा0 न्यायालय रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने हेतु ले जाया जा रहा था जा रहा था कि रास्ते में सरकारी गाडी का टायर दिलबगरा पहाडी जंगल में पंचर हो गया जिसको देखने के लिये हम पुलिस पार्टी गाडी से उतरे की इतने में अचानक अभियुक्त अभिषेक यादव के द्वारा उ0नि0 अवधेश सिंह की सरकारी पिस्टल कमर से छीन ली और भागते हुए पुलिस पार्टी पर फायर किया जिसमें से पहला फायर सरकारी वाहन के दाहिने तरफ के बीच वाले शीशे पर लगा जिसके बाद अभियुक्त जंगल में भागने लगे तब थानाध्यक्ष नौगढ द्वारा RT सेट से कंट्रोल व थाना को अवगत कराया गया और बार्डर के थानो को घेरा बन्दी के लिए संदेश पास कराया गया। भेजे गये संदेश के पश्चात थानाध्यक्ष चकिया भी मौके पर आ गये। थानाध्यक्ष नौगढ व थानाध्यक्ष चकिया के द्वारा घेरा बन्दी कर अभियुक्तगण को आत्मसमर्पण के लिये बताया गया तो उक्त अभियुक्त आत्मसमर्पण न कर पुलिस पार्टी पर फायर करने लगे जिसके कारण पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग मे दोनो अभियुक्तो के पैर में गोली लग गयी और गिर कर कराहने लगे और पुलिस द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल बरामद कर अपने थाना के गाडी से पकड़े गये अभियुक्तगण की जीवन रक्षा को देखते हुए प्राथमिक इलाज हेतु सी.एच.सी नौगढ में भर्ती कराया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-</u>

1.अभिषेक यादव उर्फ पुच्चू पुत्र बलिन्दर नि0 ग्राम जयमोहनी पोस्ता थाना नौगढ जनपद चन्दौली उम्र 22 वर्ष

2.सुनील यादव पुत्र बच्चा यादव नि0 ग्राम जयमोहनी पोस्ता थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली उम्र 23 वर्ष

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास-</u>

मु0अ0सं0 77/24 धारा 70 (2) / 115 (2) / 352 / 351 (2) BNS व 5G / 6 पॉक्सो एक्ट थाना नौगढ

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले अधि0/क्रम0गण –</u>

1.थानाध्यक्ष श्री कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली - मय टीम